

I/145309/2023(1)

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग  
केन्द्रीय जल आयोग  
जल आयोजन एवं परियोजनासमन्वय निदेशालय



Government of India  
Ministry of Jal Shakti  
Deptt. of Water Resources, RD&GR  
Central Water Commission  
WP&P Coordination Directorate

**विषय:** सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत Shri Gopal Prasad, H No 210, Gal No -3, Pal Mohalla, Near Monan Baba Mandir, Mandavab, Delhi-110032 email: gopalrti7@gmail.com का RTI क्रं CWCND/R/T/23/00147 दिनांक 08-08-2023, IPHO/RTI/99/2023-24 दिनांक 20-07-2023, CWCND/R/T/23/00154 दिनांक 14-08-2023, CWCND/R/T/23/00155 दिनांक 14-08-2023, CWCND/R/T/23/00157 CWCND/R/T/23/00158 CWCND/R/T/23/00159 CWCND/R/T/23/00160 दिनांक 17-08-2023 और MOWRC/R/P/23/00094 MOWRC/RIP/23/00096 दिनांक 09/08/2023 के आवेदन द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में।

(Information sought under RTI Act by Shri Gopal Prasad, H No 210, Gal No -3, Pal Mohalla, Near Monan Baba Mandir, Mandavab, Delhi-110032 email: gopalrti7@gmail.com vide RTI application No. CWCND/R/T/23/00147 dated 08-08-2023 CWCND/R/T/23/00157 CWCND/R/T/23/00158 CWCND/R/T/23/00159 CWCND/R/T/23/00160 dated 17-08-2023 and MOWRC/R/P/23/00094 MOWRC/RIP/23/00096 dated 09/08/2023-reg)

इस कार्यालय में 10-08-2023 को केन्द्रीय जल आयोग के अवर सचिव एवं सूचना के अधिकार के नोडल अधिकारी के पत्रांक A-49012/8/2023/RTI/1248-52 दिनांक:10-08-2023, A-49012/8/2023/RTI/1154-58 दिनांक:26-07-2023, A-49012/8/2023/RTI/1282-85 दिनांक:17-08-2023 और A-49012/8/2023/RTI/1296-100 दिनांक:18-08-2023 से प्राप्त Shri Gopal Prasad.का दिनांक 08-08-2023 आवेदन के संबंध में जल आयोजन एवं परियोजना स्कंध, केन्द्रीय जल आयोग में उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:

[With reference to above RTIs Application, which was transferred to this office from Under Secretary & Nodal Officer, RTI cell, CWC, New Delhi on 10-08-2023, vide letter no. A-49012/8/2023/RTI/1248-52 Dated:10-08-2023 A-49012/8/2023/RTI/1154-58 Dated:26-07-2023, A-49012/8/2023/RTI/1282-85 Dated:17-08-2023 and A-49012/8/2023/RTI/1296-100 Dated:18-08-2023 Information available in WP&P Wing of CWC, is provided as below:]

क्र.सं	वांछित सूचना/ information Requested	उपलब्ध सूचना/ Available information

I/145309/2023(1)

<p>दिल्ली में जलप्रलय, बाढ़, जल संकट के कारण बनी दरिया दिल्ली एवं आपदा के लिए "केंद्र सरकार" की भूमिका, विभागवार तैयारी, जिम्मेवारी, समाधान, बजट, 1. आपदा प्रबंधन हेतु सर्वदलीय बैठक, इस हेतु यदि संसद का विशेष सत्र में विचार रखने वाले वक्ताओं के महत्वपूर्ण विचार रिकॉर्डेड बयान सहित जानकारी की अभीप्रमाणित प्रतिलिपि।</p>	<p>संबंधित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।</p>
<p>2. दिल्ली में जलप्रलय, बाढ़, जल संकट के कारण बनी दरिया दिल्ली एवं</p>	

I/145309/2023(1)

	<p>आपदा के लिए "केंद्र सरकार" की भूमिका, विभागवार तैयारी, जिम्मेवारी, समाधान, बजट, आपदा प्रबंधन हेतु यदि विधानसभा का विशेष सत्र उस सत्र में विचार रखने वाले वक्ताओं के महत्वपूर्ण विचार रिकॉर्डेड बयान सहित जानकारी की अभी प्रमाणित प्रतिलिपि।</p>	
3.	<p>दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना /परियोजना, दिल्ली के मास्टर प्लान की घोषणा , मानक, तैयारी, विशेषता, क्रियान्वयन, पर्यावरण की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन, बाढ़, जलमाव से निजात पाने हेतु स्थिति दूरदर्शी</p>	

I/145309/2023(1)

<p>योजना हेतु "केंद्र सरकार" एवं दिल्ली सरकार का संकल्प समस्या के निदान हेतु मूल्यांकन समीक्षा वर्तमान वैधानिक स्थिति के संदर्भ में - केन्द्रीय गृह मंत्री, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री , केन्द्रीय लोक निर्माण मंत्री, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्री, चेयरमैन सेंट्रल प्लूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली पुलिस आयुक्त, उप राज्यपाल दिल्ली, मुख्य मंत्री दिल्ली, मुख्य सचिव दिल्ली, जल मंत्री दिल्ली सरकार , लोक निर्माण विभाग मंत्री, महापौर दिल्ली नगर निगम,</p>	
---	--

I/145309/2023(1)

	<p>उपद्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण, सी ई ओ DUSIB, उपद्यक्ष दिल्ली जल बोर्ड, निदेशक स्थानी निकाय दिल्ली सरकार, DDMA, NDRF के संपर्क,समन्व य, संवाद और सहयोग हेतु प्रशासनिक तयारी, अलग अलग जिम्मेवारी, भूमिका, मीटिंग,मिन ट्स,मिरने, मूल्यांकन, समीक्षा, टीम्वर्क, परिणाम, पत्राचार सहित जानकारी की अभीप्रमाणि त प्रतिलिपि।</p>	
4.	<p>दिल्ली में शुद्ध एवं जल शोधन के बाद स्वच्छ पेयजल की निर्बाध आपूर्ति</p>	

I/145309/2023(1)

<p>सुनिश्चित करने, दिल्ली के सभी इलाकों में पानी के किल्लत, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दूषित जलपूर्ति की समस्या के स्थिति निदान की जिम्मेवारी, जल एवं पर्यावरण वैज्ञानिको/विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण सुझाव, रिसर्च, अध्ययन, अनुसंधान रिपोर्ट, आने वाली कठिनाइयां, मोनिट्रिंग प्रक्रिया, आधुनिक तकनीक क्रियान्वयन सहित जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।</p>	
<p>5. सिंगापुर के ड्रेनेज सिस्टम को जानने समझने के</p>	

I/145309/2023(1)

<p>लिए दिल्ली सरकार की ओर से जिन लोगों के जिन उद्देश्य के लिए सिंगापुर भेजा गया था पर हुए खर्च सहित सूची दिल्ली में आए बाढ़ एवं जलजमाव के निधन हेतु उस अनुभव का क्रियान्वयन तथा उद्देश्यपूर्ति सहित जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।</p>	
<p>6. वर्ष 1978 में आए बाढ़ उस समय आए बाढ़ की स्थिति, बाढ़ की त्रासदी से हुए नुकसान एवं उसकी समीक्षा बाढ़ की स्थिति का सामना करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार की</p>	

I/145309/2023(1)

<p>तैयारी और प्रयास, लिए गए निर्णय से संबंधित विषयवार सूची निर्णयवार क्रियान्वयन सीख, भविष्य के चेतावनी सहित जानकारी की अभीप्रमाणित प्रतिलिपि।</p>	
<p>7. दिल्ली में जलप्रलय, बाढ़, जलसंकट के कारण बनी दरिया दिल्ली एवं आपदा से निपटने के लिए "केंद्र सरकार" एवं "दिल्ली सरकार" (क्रम संख्या 3 में वर्णित समस्या विभागों) की तयारी, मानसून पूर्व से लेकर अब तक मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के छिनहिकारण, मेडिकल ईमर्जन्सी जैसे हालत</p>	

I/145309/2023(1)

<p>क सामना करने हेतु समाधान एवं राहत सामग्री, पशु चार , जल जनित रोगों (हैजा, डेंगू, पोलिओ, मलेरिया, सर्पदंश आदि) से नपटने के लिए आवश्यक निःशुल्क दावा आपूर्ति के क्रियान्वयन , क्षति एवं क्षतिपूर्ति, सिख भविष्य के चेतवानी, महत्वपूर्ण निर्णय, मदवार खर्चकी मोनिट्रिंग सुनिश्चित करने, ब्रशतचर पर अंकुश लगानी, खर्च की पारदर्शिता सुनिश्चित करने सहित वर्तमान विधानिक स्थिती के जानकारी की अभीप्रमाणित प्रतिलिपि।</p>	
8. हरियाणा	तत्कालीन उत्तर प्रदेश , हरियाणा , राजस्थान , हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के

I/145309/2023(1)

<p>के हथिनी कुण्ड बैराज, मुनक नहर से दिल्ली में भारी मात्रा में दिल्ली की और पानी छोड़े जाने के संदर्भ में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार के मध्य हुए एग्रीमेंट, आपसी सहमति पत्र, समझौता, नुकसान के भरपाई की जिम्मेवारी सहित वर्तमान विज्ञान वैधानिक स्थितिके जानकारी की अभीप्रमाणित प्रतिलिपि।</p>	<p>मुख्यमंत्रियों द्वारा दिनांक 12 मई 1994 को यमुना के सतही प्रवाह के आवंटन के सम्बन्ध में एक   समझौता ज्ञापन ()प्रतिलिपि <b>अनुलग्नक - 1</b> के रूप में संलग्न) हस्ताक्षरित किया गया</p> <p>समझौता ज्ञापन के अनुसार , ओखला बैराज तक यमुना की औसत वार्षिक उपलब्धता 13.0 बीसीएम में से , बेसिन राज्यों के मध्य कुल 11.983 बीसीएम पानी (अनुप्रवाह में बनाये रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रवाह और बाढ़ उत्प्लव के कारण अनुपयोगी 0.68 बीसीएम को छोड़ कर ) निम्नानुसार आवंटित किया गया है  </p> <table border="0"> <tr> <td>1. हरियाणा</td> <td>5.730 बीसीएम</td> </tr> <tr> <td>2. तत्कालीन उत्तर प्रदेश</td> <td>4.032 बीसीएम</td> </tr> <tr> <td>3. राजस्थान</td> <td>1.119 बीसीएम</td> </tr> <tr> <td>4. हिमाचल प्रदेश</td> <td>0.378 बीसीएम</td> </tr> <tr> <td>5. दिल्ली</td> <td>0.724 बीसीएम</td> </tr> </table> <p>इसके अलावा , यमुना नदी पर हथिनीकुंड बैराज के निर्माण के सम्बन्ध में तत्कालीन उत्तर प्रदेश , हरियाणा , राजस्थान , हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच समझौते ()प्रतिलिपि <b>अनुलग्नक - 2</b> के रूप में संलग्न) के अनुसार , हरियाणा द्वारा हथिनीकुंड बैराज और उसमे मौजूद रेगुलेटर का निर्माण परिचालन और रखरखाव किया जाएगा   बैराज की लागत शुरु में हरियाणा द्वारा वित्तपोषित की जाएगी , इसके बाद हेड रेगुलेटर की लागत सहित बैराज की लागत हरियाणा   ,तत्कालीन उत्तर प्रदेश , राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा साझा की जाएगी</p> <p>दिनांक 12.05.1994 के समझौता ज्ञापन के अनुसरण में बेसिन राज्यों के मध्य हुए समझौते अथवा की गयी व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए हथिनीकुंड बैराज सहित ओखला तक विद्यमान एवं नदी प्रवाही जल विद्युत् केन्द्रों की अतिभार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी भंडारणों और बराजों से जल का विनियमन एवं आपूर्ति का कार्य ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा किया जाएगा  </p>	1. हरियाणा	5.730 बीसीएम	2. तत्कालीन उत्तर प्रदेश	4.032 बीसीएम	3. राजस्थान	1.119 बीसीएम	4. हिमाचल प्रदेश	0.378 बीसीएम	5. दिल्ली	0.724 बीसीएम
1. हरियाणा	5.730 बीसीएम										
2. तत्कालीन उत्तर प्रदेश	4.032 बीसीएम										
3. राजस्थान	1.119 बीसीएम										
4. हिमाचल प्रदेश	0.378 बीसीएम										
5. दिल्ली	0.724 बीसीएम										
<p>9. केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं जल विशेषज्ञों के अनुसार राजधानी दिल्ली को बाढ़ के खतरे से</p>	<p>संबंधित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।</p>										

I/145309/2023(1)

<p>बचाने के लिए बारिश की बढ़ती तीव्रता को काम किए जाने, फ्लडप्लेन को बचाने, नदी के रिवर बोर्ड को बनाए रखने, यमुना को ध्यान में रखकर अर्बन प्लानिंग एवं यमुना के राज्यों के बीच तालमेल, यमुना नदी को पुराने स्वरूप में लौटने हेतु दिल्ली के तीन बैराजों (वजीराबाद, ओखला, आईटीओ) में से इंद्रप्रस्थ पावर पलंद स्टेशन की दो उन्नितों को ठंड करने के लिए बनाए गए आईटीओ बैराज की उपयोगित खत्म होने के बावजूद उसे अभी तक नहीं</p>	
---	--

I/145309/2023(1)

	हटाए जाने आदि हेतु उठाए गए आवश्यक प्रयास के जानकारी की अभीप्रमाणित प्रतिलिपि।	
10.	पचास साल में कोई बाढ़ आने के इतिहास की पुनरावृत्ति राजधानी में यमुना के किनारों से छोड़ छोड़ करने वाला अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के कारण नुकसान की भरपाई की जिम्मेवारी सहित वर्तमान वैज्ञानिक स्थिति केंद्र सरकार व राज्य सरकार के जानकारी की अभीप्रमाणित प्रतिलिपि।	
11.	बाढ़ क्षेत्र में बहुत अधिक अतिक्रमण होने के कारण	

I/145309/2023(1)

<p>पानी के फैलाव नहीं हो पाने एवं अवरोधक तत्वों के कारण बाढ़ की अधिकतम संभावना, यमुना में गाद (सिल्ट) की अधिकतम मात्रा से रिवर बेड ऊपर आने की कारण कम पानी से ही बाढ़ आने, तीन से चार राज्यों से गुज़रने वाली यमुना वाले प्रदेशों आपसी तालमेल नहीं होने, दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम पिछले जितनी सालों से अपग्रेड नहीं की गयी है प्रति वर्तमान वैधानिक स्थिति तथा दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रयास की</p>	
---	--

I/145309/2023(1)

	जानकारी की अभीप्रमाणित प्रतिलिपि।
1	आपातकाल
2.	की स्थिति में दिल्ली सरकार के डिविजनल कमिश्नर श्री अश्विनी कुमार जी (IAS अधिकारी) द्वारा दिल्ली सरकार के मंत्री की बात को अनसुना करने, मंत्री के बार बार कहने पर भी रात को NDRF को नहीं बुलाया जाने के कारण , त्वरित कार्यवाही नहीं किए जाने के संबंद मे जानकारी की अभीप्रमाणित प्रतिलिपि। यदि ये अधिकारी आर्डिनेंस की वजह से मनमानी कर रहा है तो

I/145309/2023(1)

	जानकारी की अभीप्रमाणित प्रतिलिपि।
1 3.	<p>आपदाओं से ग्रस्त दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में जिन आपदाओं में जीवन और संपत्ति को व्यापक क्षति पहुंचाई है और आर्थिक विकास संबंधित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।</p> <p>पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के कारण तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राज्य के सामग्र सामाजिक आर्थिक विकास पर आपदाओं के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए एक सक्रिय व्यापक और निरंतर</p>

I/145309/2023(1)

<p>दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानने के उद्देश्य से गठित दिल्ली आग्रा प्रबंधन प्राधिकरण की समस्त उपलब्धियों लभुकों के सूची, नुकसान के भरपाई की जिम्मेवारी सहित वर्तमान वैधानिक स्थितिके जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।</p>	
<p>1 आरटीआई 4. ऐक्ट की धार 4 के तहत उपरोक्त से संभन्धित समस्त सूचनाएं, संबंधित समस्त विभागों की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने के अनिवार्यता क क्रियान्वयन होने अथवा नहीं होने के</p>	<p>इस कार्यालय के माध्यम से प्रदान की गई RTI की जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है <a href="https://cwc.gov.in/rti-reply">https://cwc.gov.in/rti-reply</a></p>

I/145309/2023(1)

जानकारी की अभिप्रमा णित प्रतिलिपि।	
--	--

यदि आप इस कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी/जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर सीधे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं जिसका पता नीचे दिया गया है।

[In case you are not satisfied with the information/ reply provided by this office, you may directly prefer an appeal within 30 days from the receipt of this letter to the first appellate authority whose address is given as under.]

Designation & address of First Appellate Authority in respect of WP&P wing of CWC	Chief Engineer (PAO), Central Water Commission, 7th Floor (S), Sewa Bhawan, R. K. Puram, New Delhi 110066. ☎:011-26103561. ✉: ceprjap@nic.in
---	--

निदेशक Director

ज.आ.एवंप. स.नि. तथामुख्यजनसूचनाअधिकारी WP&P (C) & CPIO

To,

1. Shri Gopal Prasad, H No 210, Gal No -3, Pal Mohalla, Near Monan Baba Mandir, Mandavab, Delhi-110032, email: gopalrti7@gmail.com
2. Under Secretary and Nodal Officer, RTI Cell with reference to letter No A-49012/8/2023/RTI/1248-52 Dated:10-08-2023 for kind information and further necessary action please

(Applicant may find the RTI reply correspondence at <http://cwc.gov.in/rti-reply> )

तृतीय तल (द०), सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम

नई दिल्ली-110066

दूरभाष : 011 29583225, फैक्स : 011 29583209

ई मेल: [wppcdte@nic.in](mailto:wppcdte@nic.in)

♣जल संरक्षण - सुरक्षित भविष्य♣



3rd FLOOR (S), SEWA BHAWAN, R.K.PURAM

NEW DELHI-110066

Tel. 01129583225 :

Fax: 011 29583209

Email :- [wppcdte@nic.in](mailto:wppcdte@nic.in)

♣Conserve Water- Save Life♣